आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री सिद्धार्थ नौटियाल, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 276/इंदौर/2018
निर्धारण वर्ष : 2012-13

सहायक आयकर आयुक्त 5(1), इंदौर	बनाम	मे. प्रगति डेवलपर्स, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएजेएफपी 7625 बी		

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस.एस.सोलंकी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
राजस्व की ओर से	श्री अखिलेश पोरवाल, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.08.2022
उद्घोषणा तिथि	31.08.2022

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबंधित राजस्व की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-II, इंदौर के आदेश दिनांक 11.12.2017 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि सहायक आयकर आयुक्त-5(1), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 ई के अधीन विरचित आदेश दिनांक 15.09.2015 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 26.08.2022 के द्वारा निवेदन किया कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए “विवाद से विश्वास योजना,2020” के तहत आवेदन किया है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारिती ने अपेक्षित करों का भुगतान कर दिया है तथा विभाग द्वारा निर्धारिती

को फार्म सं. 5 जारी किया गया है अतः विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष दाखिल अपील को वापिस लिया गया माना जाए । आवेदन के साथ फार्म सं. 4 , फार्म सं. 5 तथा विवाद से विश्वास के अधीन भुगतान किए गए चालान की प्रति दाखिल की गई है । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि (विप्र) ने निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध का विरोध नहीं किया है ।

3. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । हमने पाया कि निर्धारिती ने विवाद से विश्वास योजना, 2020 में भाग लिया है और अतः इस अपील को खारिज करने का अनुरोध किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । प्रकरण के इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन, हम एतद् द्वारा विभागीय अपील को खारिज करते है ।

4. परिणामतः, विभागीय अपील खारिज की जाती है ।

यह आदेश 31.08.2022 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(सिद्धार्थ नौटियाल)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 31.08.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल